तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्र.सं. 124/2025 जीसीएमएस : 2025/205 फूसाराम बनाम सरकार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम	नम्बर व तारीख अहकाम जो जो इस हुक्म की तामील में जारी किये गये
29.09.2025		

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी स्वयं उपस्थित। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीविजयनगर के पत्रांक/भू.अ./2025/3035 दिनांक 09.09.2025 के द्वारा प्राप्त हुई। प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पर सुना गया। प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रिकार्ड में दुरूस्ती के आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि प्रार्थी के नाम से चक 17 जीएम खाता सं. 254 में प.नं. 124/11 मु.नं. 137 का 1.518है. अनकमाण्ड खातेदारी रकबा है। उक्त रकबा का बैयनामा पंजीयन करवाते समय सहवन से बैयनामा में प्रार्थी के पिता का नाम गिरधारी लाल अंकित हो गया जिसके आधार पर जमाबंदी में भी फूसाराम पुत्र गिरधारी लाल अंकित हो गया है। जबकि प्रार्थी के आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि पहचान के सभी दस्तावेजों में पिता का नाम गिरधारी दर्ज है जो सही है। जिसकी दुरूस्ती प्रार्थी करवाना चाहता है। जमाबंदी में प्रार्थी के पिता का नाम गिरधारी लाल के स्थान पर गिरधारी किये जाने के दुरूस्ती आदेश जारी करने हेतु निवेदन किया।

प्रकरण में तहसीलदार श्रीविजयनगर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार चक 17 जीएम प.न. 124/11(137) का 1.518है. रकबा फूसाराम पुत्र गिरधारीलाल जाति जाट सा. 2 डीएम धांधड़ा खातेदार दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी द्वारा उक्त रकबा जरिये बैयनामा खरीदशुदा है। बैयनामा का पंजीबद्ध दस्तावेज में प्रार्थी के पिता का नाम गिरधारी लाल दर्ज है। जिससे जमाबंदी में प्रार्थी के पिता का नाम गिरधारी लाल अंकन हुआ है। प्रार्थी के अन्य दस्तावेजों आधार कार्ड, परिचयपत्र, पेनकार्ड आदि में पिता का नाम गिरधारी अंकित है। रकबा पर किसी न्यायालय का स्थगन/विवाद नहीं है। प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में पिता का नाम गिरधारी लाल के स्थान पर गिरधारी की दुरूस्ती करवाना चाहता है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पहचान के दस्तावेजों छायाप्रति आधर कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम गिरधारी अंकित है, प्रस्तुत बैयनामा छायाप्रति गोपीराम बहक फूसाराम दिनांक 05.08.2024 में प्रार्थी के पिता का नाम गिरधारी लाल अंकित है। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीविजयनगर के अनुसार बैयनामा आधार पर रिकार्ड में नाम दर्ज हुआ है। यह स्पष्ट है कि रिकार्ड में अमलदरामद किये जाने में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं हुई है। परन्तु प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पहचान संबंधित दस्तावेजों में प्रार्थी के पिता का नाम गिरधारी है, ऐसी स्थिति में न्यायहित में राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती की जानी उचित है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और तहसीलदार श्रीविजयनगर को आदेश दिया जाता है कि राजस्व रिकार्ड जमाबंदी चक 17 जीएम खाता सं. 254 में दर्ज प.नं. 124/11 मु.नं. 137 की कुल 1.51[illegible] भूमि के काश्तकार का नाम फूसाराम पुत्र गिरधारी लाल [illegible] स्थ[illegible] पर फूसाराम पुत्र गिरधारी का अंकन किया जा[illegible] शेष अंकन [illegible] निर्णय की प्रति तहसीलदार श्रीविजयनगर [illegible] प्रेषित की जावे। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैंसले में श[illegible] होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.10.15 10:54:50 IST
Reason: SelfAttested

शकुन्तला
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
श्रीविजयनगर